

कॉल फॉर सेफर एंड हेल्थियर वर्कगि एनवायरनमेंट्स: ILO

प्रलिस के लयि :

सुरकषति और स्वस्थ कार्य वातावरण, [अंतरराषटरीय शरम संगठन](#), [एशया-प्रशान्त कषेत्र](#), कार्यस्थल पर सुरकषा और स्वास्थय पर वशिव कॉन्ग्रेस (WCSHW) ।

मेन्स के लयि :

सुरकषति और स्वस्थ कार्य वातावरण: ILO, स्वास्थय, शकषिा, मानव संसाधन से संबधति सामाजकि कषेत्र/सेवाओं के वकिसा और प्रबंधन से संबधति मुददे ।

स्रोत : [द हनिद्रू](#)

चरचा में कयों

हाल ही में [अंतरराषटरीय शरम संगठन](#) ने 'कॉल फॉर सेफर एंड हेल्थियर वर्कगि एनवायरनमेंट्स' शीरषक से एक रपिरट जारी की है, जसि पर सडिनी, ऑस्ट्रेलया में [2017-2018](#) पर 23वीं वशिव कॉन्ग्रेस (WCSHW) के दौरान चरचा की जाएगी ।

- WCSHW, जो पहली बार 1955 में आयोजति कया गया था, **कार्य स्वास्थय और सुरकषा** के लयि सबसे बडे अंतरराषटरीय सम्मेलनों में से एक है । इसका लक्ष्य 120 से अधकि देशों को सुरकषा और नुकसान की रोकथाम हेतु जोडना है ।

मुख्य वशिषताएँ:

- वार्षकि मृत्यु:**
 - वशिव स्तर पर लगभग 30 लाख (3 मलियन) कर्मचारी की हर साल काम से संबधति दुर्घटनाओं और बीमारयिों के कारण मृत्यु हो जाती है ।
 - इनमें से **63 प्रतिशत से अधकि** मौतें [एशया-प्रशांत कषेत्र](#) में होती हैं ।
- मृत्यु के प्रमुख कारण:**
 - लंबे समय तक काम करने के घंटों (प्रतिसप्ताह 55 घंटे या अधकि) के कारण **2016 में सबसे अधकि मौतें हुईं**, जसिसे लगभग 7.45 लाख मौतें हुईं ।
 - औद्योगकि कणों, गैसों और धुएँ के संपर्क में आने से लगभग **4.5 लाख मौतें हुईं** ।
 - औद्योगकि कार्यों के दौरान मशीनों से लगने वाली चोटों के कारण लगभग **3.63 लाख मौतें हुईं** ।
- घातक व्यावसायकि आघात दर (FOIR):**
 - घातक व्यावसायकि आघात दरों के आधार पर** खनन एवं उत्खनन, नरिमाण व उपयोगतिओं जैसे कषेत्रों को **वशिव में सबसे खतरनाक** कषेत्रों के रूप में पहचाना गया था । FOIR एक **सांख्यकि माप** है जसिका उपयोग एक वशिष अवध के दौरान कसिी वशिषिट व्यावसायकि समूह, उदयोग या भौगोलकि कषेत्र में **कार्य-संबधी दुर्घटनाओं या आघातों से होने वाली मौतों की संख्या नरिधारति करने के लयि** कया जाता है ।
- ILO कन्वेंशन:**
 - अब तक 187 सदस्य देशों में से 79 देशों ने [ILO व्यावसायकि सुरकषा और स्वास्थय कन्वेंशन](#) की पुषटकी है, जबकि 62 देशों ने **व्यावसायकि सुरकषा एवं स्वास्थय कन्वेंशन, 2006 के लयि प्रमोशनल फ्रेमवर्क** की पुषटकी है ।
 - भारत ने दोनों सम्मेलनों का अनुमोदन नहीं कया है** । हाल ही में [उत्तरकाशी सुरंग हादसा](#) के मददेनजर, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार से सम्मेलनों का अनुमोदन करने का आग्रह कया था ।
- कार्य-संबधी रोग:**
 - काम से संबधति मौतों** (26 लाख) का एक बड़ा हसिसा काम से संबधति बीमारयिों के लयि ज़मिेदार है, जनिमेंसंचार **संबधी रोग, घातक नवोप्लाज़म (कैंसर ट्यूमर) और श्वसन रोग** शामिल हैं ।
 - व्यावसायकि जोखमि के कारण बीमारयिों के बदलते रुझान, जैसे **क्रोमियम के संपर्क के कारण श्वासनली, ब्रोन्कस और फेफड़ों के कैंसर** के मामलों में वृद्धि एवं एस्बेस्टस के संपर्क के कारण मेसोथेलियोमा के बढ़ते मामले ।

- **कुछ स्वास्थ्य जोखिमों में कमी:**
 - अस्थिमाजन्य पदार्थों और सूक्ष्म कणों, गैसों व धुएँ के संपर्क में आने से होने वाली मौतों में 20% से अधिक की कमी आई है।
- **सफ़ाई:**
 - ILO ने कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिये "कार्यस्थल पर मौलिक सदिधांत एवं अधिकार" की पाँच श्रेणियाँ बनाने का आह्वान किया। इन सदिधांतों में शामिल हैं:
 - संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाज़ी के अधिकार की प्रभावी मान्यता
 - सभी प्रकार के जबरन या अनविर्य श्रम का उन्मूलन
 - बाल श्रम का उन्मूलन
 - रोज़गार और व्यवसाय के संबंध में भेदभाव का उन्मूलन
 - एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है?

- यह **संयुक्त राष्ट्र** की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिये सभ्यतापूर्ण कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नयिकताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है।
 - इसे वर्ष 1969 में **नोबेल शांतिपुरस्कार** मिला।
- वर्ष 1919 में **वरसेलस/वरसाय की संधि (Treaty of Versailles)** द्वारा **राष्ट्र संघ** की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई और वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली वशिष्ट एजेंसी बन गया।
- **मुख्यालय:** इसका मुख्यालय जनिवा, स्विट्ज़रलैंड में है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभसिमय कसिसे संबंधित हैं? (2018)

- बाल श्रम
- कृषि के तरीकों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन
- खाद्य कीमतों एवं खाद्य सुरक्षा का वनियमन
- कार्यस्थल पर लगी समानता

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- वर्ष 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के न्यूनतम आयु कन्वेंशन, 1973 (नंबर 138) तथा वर्सुट फॉर्मस ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, 1999 (नंबर 182) के अनुसमर्थन को मंजूरी दी।
- **अभसिमय संख्या 138:** भारत अभसिमय संख्या 138 को अनुमोदित करने वाला 170वाँ ILO सदस्य देश है, जिसके लिये राज्य पार्टियों को न्यूनतम आयु निर्धारित करने की आवश्यकता होती है जिसके तहत हल्के कार्य तथा कलात्मक प्रदर्शन के अतिरिक्त किसी को भी रोज़गार अथवा किसी भी व्यवसाय में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- **अभसिमय संख्या 182:** इस अभसिमय का अनुमोदन करने वाला भारत ILO का 181वाँ सदस्य देश बना। यह दासता, जबरन श्रम तथा तस्करी सहित बाल श्रम के सबसे खराब रूपों, सशस्त्र संघर्ष में बच्चों का उपयोग, वेश्यावृत्त, अश्लील साहित्य एवं अवैध गतिविधियों (जैसे नशीली दवाओं की तस्करी) के लिये बच्चों का उपयोग एवं जोखिम भरे कार्य, पर रोक लगाने तथा उन्हें समाप्त करने का आह्वान करता है।
- ये सभी बाल श्रम (प्रतिषिद्ध और वनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के अनुरूप कार्यरत हैं, जो किसी भी व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोज़गार अथवा कार्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है एवं कशिशों (14 से 18 वर्ष) के जोखिमपूर्ण व्यवसाय तथा कार्यों में रोज़गार पर भी प्रतिबंध लगाता है।
- इसके अतिरिक्त, बाल श्रम (प्रतिषिद्ध और वनियमन) केंद्रीय नियम, जैसा कि हाल ही में संशोधित किया गया है, पहली बार बाल एवं कशिश श्रमिकों की रोकथाम, प्रतिषिद्ध, बचाव तथा पुनर्वास के लिये एक व्यापक व वशिष्ट रूपरेखा प्रदान करता है।
- दो प्रमुख ILO सम्मेलनों के अनुसमर्थन के साथ भारत ने आठ प्रमुख ILO सम्मेलनों में से छह का अनुमोदन किया है। चार अन्य सम्मेलन जबरन श्रम के उन्मूलन, समान पारिश्रमिक तथा रोज़गार और व्यवसाय में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच कोई भेदभाव न करने से संबंधित हैं।
- **अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।**

